न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा, फतेहपुर।

J.O. Code- UP3434

C.N.R.No.-UPFT1200-1683-2026

प्रकीर्ण वाद संख्या-82/2026

विकास सिंह बनाम रामरानी सिंह आदि

थाना-खागा जिला-फतेहपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

05.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० हेतु नियत है। सुना गया।

प्रार्थी विकास सिंह पुत्र स्व० रविकरन सिंह, निवासी गढ़ी अधिकांश नगर पंचायत खागा, थाना खागा जनपद फतेहपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी की माता रामरानी सिंह ने प्रार्थी विकास सिंह के पिता स्व० रविकरन सिंह की वरासत के बाद में न्यायालय तहसीलदार खागा फतेहपुर के न्यायालय में वादी को रविकरन सिंह की जायदाद से वंचित करने हेतु अपने बयान दिनांक 30.09.2024 में समक्ष न्यायालय यह बयान दिया कि मुझसे व मृतक रविकरन सिंह से कोई लड़का, लड़की नहीं पैदा हुए हैं तथा यही रामरानी सिंह एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2015 में क्रेता अमित सिंह दर्ज है और इसी प्रकार एक अन्य पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित दिनांक 13.08.2020 में विक्रेता अमित सिंह के बैनामें में उक्त रामरानी सिंह बतौर बैनामें की हासिया गवाह के दर्ज है। विदित हो कि उक्त रामरानी सिंह व उक्त अमित सिंह आपस में सगे बुआ व भतीजा है और पूर्व से ही वादी को वरासत से वंचित करने के लिए उक्त अमित सिंह को जाल फरेब व षणयंत्र कर कूट रचना करते हुए अपना पुत्र दर्शित किया है। उक्त रामरानी सिंह एक तरफ अपने लिखित बयान में यह कहा है कि मुझसे व रविकरन सिंह से कोई लड़का, लड़की पैदा नहीं हुए हैं तथा दूसरी उक्त अमित सिंह को बैनामे में अपना सगा पुत्र जाहिर किया है। उपरोक्त षणयंत्र की जानकारी होने के पश्चात वादी ने दिनांक 16.04.2026 को थाना खागा में जाकर लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के पश्चात दिनांक 28.04.2026 को एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को दिया, लेकिन उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति व मूल डाक रसीद, सत्यापित प्रतिलिपि बयान रामरानी समक्ष तहसीलदार खागा, छायाप्रति बैनामा दिनांकित 04.08.2015, छायाप्रति बैनामा दिनांकित 31.03.2021, नकल खतौनी, छायाप्रति आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं थाने की आख्या तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस० एस० के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की माता रामरानी सिंह ने न्यायालय तहसीलदार खागा फतेहपुर में अपने बयान दिनांक 30.09.2024 को दिया कि उससे व मृतक रविकरन सिंह से कोई लड़का-लड़की नहीं पैदा हुए हैं। रामरानी सिंह ने वादी को वरासत से वंचित करने के लिए उक्त अमित सिंह के साथ षणयंत्र व

कूट रचना करते हुए अमित सिंह को अपना पुत्र दर्शित किया है। उक्त रामरानी सिंह एक तरफ अपने लिखित बयान में यह कहा है कि उससे व रविकरन सिंह से कोई लड़का–लड़की पैदा नहीं हुए हैं तथा दूसरी तरफ उक्त अमित सिंह को बैनामें में अपना सगा पुत्र जाहिर किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी को है, जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में सक्षम है। अतः मामले में अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। **रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, ए0सी0आर0आर0 2001(2) पृष्ठ 1350, एवं सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007(6) ए.एल.जे. (424) डबल बेंच** में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक सिद्धान्तों के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त इस न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित और न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 82/2026, विकास सिंह बनाम रामरानी सिंह आदि अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद प्रकीर्ण के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 223, बी०एन०एस०एस० दिनांक 07.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–05.06.2026

(शुभ्रा प्रकाश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाह्य न्यायालय खागा, फतेहपुर।
J.O. Code– UP3434